संख्या– 1471 /XL-1/2023-44/2022

प्रेषक,

डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड देहरादून।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांक 21 अगस्त, 2023

विषयः– **राज्य में संचालित आयुष चिकित्सालय, आयुष पद्धति थैरेपी सेवा प्रदान करने वाले केन्द्रों तथा आयुष वैलनेस केन्द्रों आदि के पंजीकरण एवं संचालन हेतु मानकों के निर्धारण किये जाने के सम्बंध में।**

महोदय

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–2919–जी–422/2022–23 दिनांक 03 जुलाई, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य में संचालित आयुष चिकित्सालयों, आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों, आयुष पद्धति थैरेपी सेवा प्रदान करने वाले केन्द्रों के अनुश्रवण/पंजीकरण/संचालन हेतु मानकों के निर्धारण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में संचालित आयुष चिकित्सालयों, आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों, आयुष पद्धति थैरेपी सेवा प्रदान करने वाले केन्द्रों के अनुश्रवण/पंजीकरण/संचालन हेतु शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार मानक निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

- आयुष चिकित्सा विधाओं के माध्यम से स्वास्थ्य संवर्द्धन, रोग प्रतिरोधक एवं स्वास्थ्य पुर्नस्थापन तथा उपरोक्त के साथ साथ चिकित्सा सेवायें देने वाले समस्त आयुष चिकित्सालय, आयुष थैरेपी केन्द्र, पंचकर्म केन्द्र, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों आदि को आयुष विभाग द्वारा संचालित वैलनेस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना होगा।
- उपरोक्त केन्द्रों को मानक अधिसूचित किये जाने की तिथि से आगामी 01 वर्ष तक पंजीकरण हेतु कोई भी शुल्क देय नहीं होगा। तत्पश्चात प्रत्येक केन्द्र से पंजीकरण शुल्क रू0 200/–लिया जायेगा।
- प्रत्येक केन्द्र हेतु पंजीकरण अवधि 03 वर्ष रहेगी व प्रत्येक 03 वर्ष में पंजीकरण का नवीनीकरण भी किया जाना अनिवार्य होगा।
- पंजीकरण शुल्क ई–चालान के माध्यम से निर्धारित हेड में ट्रेजरी में जमा किया जायेगा।
- पंजीकरण पूर्णतः ऑनलाईन माध्यम से पोर्टल पर केन्द्र द्वारा स्वयं किया जा सकेगा अथवा जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर भी पंजीकरण कराया जा सकेगा।
- पंजीकृत केन्द्रों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं एवं सेवाओं का शुल्क सूचना पट्ट के माध्यम से अथवा केन्द्र की वेबसाईट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जायेगा।

Generated from eOffice by SHAILJA SINGH, SO-Ayush Section-SS, SECTION OFFICER, Ayush and Ayush Education Department on 21/08/2023 02:43 PM

- प्रत्येक केन्द्र में थैरेपी आदि के लिए आने वाले आगुन्तकों/लाभार्थियों का सम्पूर्ण विवरण रखा जायेगा।
- प्रत्येक केन्द्र द्वारा आयुष की जिस विधा के अधीन सेवायें प्रदान की जा रही है, उससे निर्धारित नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- उक्त केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर प्रत्यायन की व्यवस्था तथा श्रेणियां निर्धारित की जायेंगी, जिस हेतु श्रेणियों के निर्धारण सम्बन्धी मानक पृथक से जारी किये जायेंगें।
- केन्द्र द्वारा चिकित्सा सेवायें भी प्रदान किये जाने की स्थिति में क्लीनिकल एस्टिबलेसमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत निर्धारित समस्त नियमों का भी पालन किया जायेगा।
- केन्द्र द्वारा स्वच्छता हेतु निर्धारित मानकों का पूर्णतः परिपालन किया जायेगा, इसके अन्तर्गत संक्रमण आदि को रोकने के लिए 01 व्यक्ति की चिकित्सा/थैरेपी पर प्रयुक्त की गयी सामग्री का दूसरे व्यक्ति के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा तथा अधिक से अधिक डिस्पोजेबल वस्तुओं का ही उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।
- यदि केन्द्र द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट उत्पन्न किया जाता है तो उसके निस्तारण हेतु स्थापित नियमों के अन्तर्गत यथावश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- उपरोक्त प्रत्येक केन्द्र द्वारा आवश्यकता के आधार पर पुरूष/महिला प्रसाधन तथा स्नानागार की समुचित व्यवस्था की जायेगी।
- प्रत्येक केन्द्र में किसी भी प्रकार की क्रास मसाज प्रतिबन्धित रहेगी।
- जिस थैरेपी केन्द्रों में किचन की आवश्यकता होती है, उन थैरेपी केन्द्रों में किचन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।
- पंजीकृत केन्द्रों की समस्याओं/सुझावों पर विचारार्थ तथा केन्द्रों के समन्वय हेतु निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
- जनपद स्तरीय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी जनपदों में संचालित केन्द्रों के समन्वय अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे तथा पंजीकृत जनपद स्तरीय केन्द्रों की समस्याओं का निराकरण एवं अनुश्रवण का कार्य करेंगे।
- प्रत्येक केन्द्र अपने निकटतम एलौपैथिक चिकित्सालय को संपर्क करते हुए उक्त चिकित्सालय को आकस्मिक परिस्थितियों हेतु रैफरल केन्द्र के रूप में नामित करेंगे तथा उक्त चिकित्सालय का नाम व नम्बर अपने परिसर के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करेंगे, साथ ही सभी वेलनेस केन्द्र प्राथमिक चिकित्सा किट की उपलब्धता रखेंगे।
- चिकित्सक विहीन केन्द्र में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जायेगा कि उक्त केन्द्र में किसी भी रोग की चिकित्सा नहीं की जाती है।

1. **आयुष वैलनेस केन्द्र एवं चिकित्सालय**– ऐसे केन्द्र जो क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हों तथा चिकित्सा सेवाओं के साथ साथ आयुष पद्धति के माध्यम से स्वास्थ्य संवर्द्धन, रोग प्रतिरोधन तथा पुर्नस्थापन सेवायें प्रदान करते हो तथा इन केन्द्रों में आयुष चिकित्सा पद्धति के मान्यता/पंजीकृत प्राप्त चिकित्सक तथा सहयोगी कार्मिक अनिवार्य रूप से उपलब्ध होंगे।

   1.1- **आयुर्वेद चिकित्सालय एवं वैलनेस केन्द्र**– ऐसे केन्द्र जिनमें उपरोक्त सेवायें आयुर्वेद, मर्म चिकित्सा आदि के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

   1.2- **पंचकर्म चिकित्सालय एवं वैलनेस केन्द्र**– ऐसे केन्द्र जिनमें उपरोक्त सेवायें पंचकर्म चिकित्सा के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं।

Generated from eOffice by SHAILJA SINGH, SO-Ayush Section-SS, SECTION OFFICER, Ayush and Ayush Education Department on 21/08/2023 02:43 PM

1.3- **योग चिकित्सालयएवं प्रशिक्षण केन्द्र**— ऐसे केन्द्र जिनमें उपरोक्त सेवायें योग व ध्यान के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं।

1.4- **नैचुरोपैथी चिकित्सालयएवं वैलनेस केन्द्र**— ऐसे केन्द्र जिनमें उपरोक्त सेवायें प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं।

2\. **आयुष वैलनेस थैरेपी केन्द्र**— ऐसे केन्द्र जो केवल स्वास्थ्य संवर्द्धन, रोग प्रतिरोधन तथा पुर्नस्थापन सेवायें प्रदान करते हों तथा इन केन्द्रों में भी आयुष चिकित्सा पद्धति के मान्यता प्राप्त/पंजीकृत चिकित्सक तथा सहयोगी कार्मिक अनिवार्य रूप से उपलब्ध होंगे।

2.1. **पंचकर्म वैलनेस थैरेपी केन्द्र**— ऐसे केन्द्र जहां उपरोक्त सेवायें पंचकर्म चिकित्सा के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

2.2. **योग वैलनेस प्रशिक्षण केन्द्र**— ऐसे केन्द्र जिनमें उपरोक्त सेवायें योग व ध्यान के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं।

2.3. **नैचुरोपैथी वैलनेस केन्द्र**— ऐसे केन्द्र जिनमें उपरोक्त सेवायें प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं।

3\. **आयुष रिसॉर्ट अथवा आयुष ग्राम**—ऐसे केन्द्र जहां रात्रि विश्राम/भोजन की सुविधा उपलब्ध हो व उक्त केन्द्र केवल स्वास्थ्य संवर्द्धन, रोग प्रतिरोधन तथा पुर्नस्थापन सेवायें प्रदान करते हो तथा इन केन्द्रों में भी आयुष चिकित्सा पद्धति के मान्यता प्राप्त/पंजीकृत चिकित्सक तथा सहयोगी कार्मिक अनिवार्य रूप से उपलब्ध होंगे।

3.1. **आयुर्वेद ग्राम**— ऐसे केन्द्र जिनमें उपरोक्त सेवायें आयुर्वेद, मर्म चिकित्सा, पंचकर्म के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

3.2. **योग ग्राम**— ऐसे केन्द्र जिनमें उपरोक्त सेवायें योग व ध्यान के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

3.3. **प्राकृत ग्राम**— ऐसे केन्द्र जिनमें उपरोक्त सेवायें प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं।

- प्रत्येक केन्द्र में रिसेप्शन डेस्क तथा न्यूनतम 05 व्यक्तियों के बैठन की व्यवस्था युक्त प्रतीक्षालय की स्थापना अनिवार्य रूप से की जायेगी।
- प्रत्येक केन्द्र में स्वास्थ्य परामर्श दिये जाने हेतु पृथक कक्ष की व्यवस्था की जायेगी।
- **आयुर्वेदिक पद्धति की सेवाओं हेतु न्यूनतम आवश्यकीय कक्ष**

क्रम संख्या	कक्ष का विवरण	संख्या
1	औषधि वितरण कक्ष (न्यूनतम 100 स्कवायर फीट)	01
2	मर्म चिकित्सा कक्ष (मर्म चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होने पर) (न्यूनतम 100 स्कवायर फीट)	01
3	स्वास्थ्य परामर्श कक्ष	01

- **पंचकर्म पद्धति की सेवाओं हेतु न्यूनतम आवश्यकीय कक्ष—**

क्रम संख्या	कक्ष का विवरण	संख्या
1	स्नेहन स्वेदन कक्ष पुरूष (न्यूनतम 100 स्कवायर फीट)	01
2	स्नेहन स्वेदन कक्ष महिला (न्यूनतम 100	01

Generated from eOffice by SHAILJA SINGH, SO-Ayush Section-SS, SECTION OFFICER, Ayush and Ayush Education Department on 21/08/2023 02:43 PM

	स्कवायर फीट)	
3	वस्ति कक्ष (न्यूनतम 80 स्कवायर फीट) अटैच शौचालय युक्त	01
4	प्रतीक्षा कक्ष (थैरेपी उपरान्त)	01

- **योग पद्धति की सेवाओं हेतु न्यूनतम आवश्यकीय कक्ष–**

कम संख्या	कक्ष का विवरण	संख्या
1	योग कक्ष (न्यूनतम 350 स्कवायर फीट)– 10 साधकों हेतु	01
2	मेडिटेशन हॉल (न्यूनतम 150 स्कवायर फीट)– ध्वनि व प्रकाश निरोधक सुविधा युक्त	01
3	षटकर्म कक्ष (वॉशबेसिन/सिंक सहित) (न्यूनतम 100 स्कवायर फीट)	01

- **प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की सेवाओं हेतु न्यूनतम आवश्यकीय कक्ष–**

कम संख्या	कक्ष का विवरण	संख्या
1	मसाज कक्ष पुरूष (न्यूनतम 100 स्कवायर फीट)	01
2	मसाज कक्ष महिला (न्यूनतम 100 स्कवायर फीट)	01
3	एनिमा कक्ष (न्यूनतम 80 स्कवायर फीट) अटैच शौचालय युक्त	01
4	हाईड्रोथैरेपीकक्ष/कलर थैरेपी/मड थैरेपी कक्ष (न्यूनतम 150 स्कवायर फीट)	01

- प्रत्येक आयुष वैलनेस केन्द्र एवं चिकित्सालय केन्द्र तथा आयुष ग्राम में उपलब्ध करायी जा रही आयुष सेवाओं के अनुरूप आयुष चिकित्सक की उपलब्धता अनिवार्य होगी।
- **प्रत्येक केन्द्र में सामान्य सेवायें प्रदान किये जाने हेतु आवश्यकीय कार्मिक–**

कम संख्या	कार्मिक का विवरण	न्यूनतम संख्या
1	स्वागती	01
2	सफाईकर्मी	01 (प्रति 20 बैड हेतु)
3	बहुउद्देशीय कार्मिक (अंतरंग सेवाओं वाले वैलनेस केन्द्र तथा आयुष ग्राम हेतु)	01 (प्रति 10 बैड हेतु)
4	कुक (अंतरंग सेवाओं वाले वैलनेस केन्द्र तथा आयुष ग्राम हेतु)	01
5	चौकीदार (अंतरंग सेवाओं वाले वैलनेस केन्द्र तथा आयुष ग्राम हेतु)	01

- **आयुर्वेद पद्धति की सेवाओं हेतु न्यूनतम कार्मिक–**

कम संख्या	कार्मिक का विवरण	न्यूनतम संख्या
1	पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सक *	01
2	पंजीकृत आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट*	01
3	वैलनेस सेंटर अटेन्डेंट	02 (प्रति 10 बैड हेतु)

Generated from eOffice by SHAILJA SINGH, SO-Ayush Section-SS, SECTION OFFICER, Ayush and Ayush Education Department on 21/08/2023 02.43 PM

/147916/2023

4	आयुर्वेदिक परिचारिका	02 (प्रति 10 बैड हेतु)

* –आयुष वैलनेस केन्द्र एवं चिकित्सालय केन्द्र तथा आयुष ग्राम हेतु अनिवार्य।

- **पंचकर्म सेवाओं हेतु न्यूनतम कार्मिक–**

कम संख्या	कार्मिक का विवरण	न्यूनतम संख्या
1	पंचकर्म चिकित्सक	01
2	पंजीकृत पंचकर्म सहायक/अटेण्डेंट पुरूष	01(प्रति 10 बैड हेतु)
3	पंजीकृत पंचकर्म सहायक/अटेण्डेंटमहिला	01(प्रति 10 बैड हेतु)

- **योग पद्धति से सेवाओं हेतु न्यूनतम कार्मिक**

कम संख्या	कार्मिक का विवरण	न्यूनतम संख्या
1	पंजीकृत योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक/अथवा पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सक (योग में स्नातकोत्तर उपाधि/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाधारक) *	01
2	योग अनुदेशक	01

* –केन्द्र में आयुर्वेदिक चिकित्सा/पंचकर्म पद्धति से सेवायें दिये जाने हेतु पूर्व से आयुर्वेदिक चिकित्सक नियुक्त होने की स्थिति में उक्त चिकित्सक योग में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाधारक होने पर अतिरिक्त योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक/अथवा आयुर्वेदिक चिकित्सक नियुक्त किया जाना अनिवार्य नहीं होगा।

- **प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से सेवाओं हेतु न्यूनतम कार्मिक–**

कम संख्या	कार्मिक का विवरण	न्यूनतम संख्या
1	पंजीकृत योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक	01
2	योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक पुरूष	01 (प्रति 10 बैड हेतु)
3	योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक महिला	01(प्रति 10 बैड हेतु)

Signed by Vijay Kumar Jogdande
Date: 21-08-2023 12:40:55
Reason: Approved

भवदीय,

(डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे)
अपर सचिव

संख्या – 1471 /XL-1/2023-44/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/मा0 आयुष मंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 आयुष मंत्री जी के संज्ञानार्थ
2. निजी सचिव, सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा उत्तराखण्ड शासन के संज्ञानार्थ।
3. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
4. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, रिंग रोड देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त को राज्य के प्रचलित समाचार संस्करणों में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

Generated from eOffice by SHAILJA SINGH, SO-Ayush Section-SS, SECTION OFFICER, Ayush and Ayush Education Department on 21/08/2023 02:43 PM

5. निदेशक होम्योपैथिक चिकित्सा सेवोयें उत्तराखण्ड।
6. प्रभारी कुलसचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हर्रावाला देहरादून।
7. रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड।
8. रजिस्ट्रार होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी उत्तराखण्ड (द्वारा निदेशक आयुर्वेद)
10. समस्त जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी उत्तराखण्ड (द्वारा निदेशक होम्योपैथ)
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(गजेन्द्र सिंह कफलिया
उप सचिव

Generated from eOffice by SHAILJA SINGH, SO-Ayush Section-SS, SECTION OFFICER, Ayush and Ayush Education Department on 21/08/2023 02:43 PM